सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1942 (श०)

संख्या-183 राँची, शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

10 मार्च, 2021

संख्या-परि० वि०-306/2012-285-- परिवहन तंत्र एवं यातायात व्यवस्था राज्य के व्यापक जीवनशैली, आवागमन, व्यापार तथा सम्पूर्ण आर्थिक संरचना का प्रमुख कारक है। यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों, नियमावली एवं नियमों में संचालित होता है। मोटरवाहन अधिनियम एवं नियमावली के तहत परिवहन तंत्र एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन हेतु विभिन्न धाराएँ एवं नियम स्थापित है। विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारियों के सुआवागमन एवं यातायात नियमों के क्रियान्वयन में प्रवर्त्तन तंत्र के समुचित सक्षम प्राधिकारों के वाहनों का आवागमन हेतु नियम प्रावधानित है, जिनका प्रभावकारी क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि राज्य का परिवहन तंत्र तथा यातायात व्यवस्था बाधारहित संचालित हो और सड़क सुरक्षा मानकों का अनुपालन एवं सभी गतिविधियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े।

2. क्षेत्र भ्रमण, मीडिया तथा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं में स्पष्ट है कि राज्य में विभिन्न प्रकार के निजी/व्यवसायिक वाहनों में कई प्रकार के विशिष्ट सूचक बोर्ड/पट्ट अग्र एवं पार्श्व भाग में लगाये जा रहे है, जो विभिन्न रंगों में तथा कई विशिष्टाएँ/सूचनाएँ सम्प्रेषित करते हुए लिखे जाते है। इससे सड़क उपभोगकर्त्ताओं के बीच वाहनों के विशिष्ट होने संबंधी संदेह उत्पन्न होते है एवं यातायात परिचालन कुप्रभावित होता है। कई अवसरों पर एम्बुलेन्स जैसे वरीयता प्राप्त वाहनों को भी आवागमन में बाधा का

सामना करना पड़ता है एवं परिवहन कर रहे रोगियों को परेशानियाँ होती है तथा कई मामलों में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों में भी वृद्धि होती है।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या- W.P.(PIL) No.-419 of 2020 गजाला तनवीर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक-18.12.2020 को प्रदत्त न्याय निर्देश के आलोक में वाहनों में बोर्ड/पट्ट का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी नीति निर्धारण का संसूचन किया जाना आवश्यक है।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकारों के व्यवहार्थ/प्रयुक्त सरकारी वाहनों के अग्र (आगे) सूचक बोर्ड या पट्ट के प्रयोग के लिए निम्न प्रकार से विनिर्दिष्ट करते है :-

(क) वाहनों के आगे निम्न प्राधिकारों का पदनाम एवं उसके नीचे संबंधित विभाग/सरकार का नाम लिखा जा सकेगा :-

I. <u>विधायिका प्राधिकार</u> :-

i. माननीय राज्यपाल ;

ii. माननीय मुख्यमंत्री ;

iii. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष/झारखण्ड विधानसभा के उपाध्यक्ष (अगर कोई हो)/विपक्षी दल के नेता ;

iv. राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रिगण/राज्यमंत्री/उप मंत्री का दर्जा प्राप्त पद;

v. झारखण्ड राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य /राज्य विधान सभा के सदस्यगण ;

vi. झारखण्ड विधानसभा की समितियों के सभापति/सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक/मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मुख्य सचेतक ;

vii. संविधान के 11वीं एवं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित स्थानीय स्वायत्त शासन के तहत् गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर के अध्यक्ष तथा विभिन्न नगर निकायों (नगरपालिकाओं) के अध्यक्ष ;

viii. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं सामान्य विभाग के नयाचार स्टेट प्रोटोकॉल शाखा द्वारा राज्य अतिथियों के लिये उपयोग में लाई जानेवाली सभी गाड़ियों वाहन में ;

ix. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समुचित सक्षम प्राधिकारियों के उद्घोषण उपरान्त एतदर्थ व्यवहृत वाहनों पर बोर्ड/पट्ट का प्रयोग करने हेतु उक्त प्रशासी विभाग स्वत: निर्णय संसूचन हेतु प्रवृत्त होगा।

II. <u>न्यायपालिका प्राधिकार</u> :-

i. माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय ;

ii. माननीय न्यायाधीशगण, झारखण्ड उच्च न्यायालय ;

iii. माननीय लोकायुक्त ;

iv. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ;

v. महाधिवक्ता ;

vi. महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय ;

vii. प्रधान न्यायायुक्त, राँची तथा राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ;

viii. उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय न्यायालयों के सक्षम प्राधिकारों को सरकारी वाहनों में वाहनों के आगे समुचित सक्षम प्राधिकारियों का पदनाम अंकित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के अनुमोदनोपरान्त महानिबंधक उच्च न्यायालय, झारखण्ड स्वत: प्रवृत्त होंगे।

III. <u>कार्यपालिका प्राधिकार</u> :-

i. मुख्य सचिव ;

ii. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त ;

iii. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक ;

iv. अपर पुलिस महानिदेशक/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक/सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक ;

v. राज्य सरकार के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव ;

IV. <u>वैधानिक आयोग</u> :-

i. अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ;

ii. राज्य निर्वाचन आयुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त ;

iii. सचिव, राज्य सूचना आयोग/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ;

iv. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग ;

v. अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग ;

vi. राज्य नि:शक्तता आयुक्त ;

vii. राज्य के कुलपतिगण (Vice Chancellors) ;

V. <u>केन्द्रीय कार्यालय (राज्यावस्थित प्रतिष्ठान)</u> :-

i. प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड ;

ii. मुख्य आयकर आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, झारखण्ड ;

iii. रेलवे के प्रमण्डलीय प्रबंधक ;

iv. महाडाकपाल, झारखण्ड ;

v. रक्षा लेखा नियंत्रक ;

(ख) कतिपय सक्षम प्राधिकारी विधि व्यवस्था के संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्त्तनकृत्यों के निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट होते है। अतएव वैसे वाहन जो विधि व्यवस्था संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्त्तन (Enforcement) कार्यों से सम्बद्ध है, उनके आगे निम्न सक्षम प्राधिकारों का पदनाम एवं उसके नीचे संबंधित विभाग/सरकार का नाम लिखा रहेगा :-

क्र०सं०	विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी	प्रवर्त्तन प्राधिकारी
i.	उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्त्ता/अपर उपायुक्त/ अपर जिला दण्डाधिकारी, राँची, जमशेदपुर, धनबाद	सभी उप परिवहन आयुक्त-सह- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षक।
ii.	अपर पुलिस अधीक्षक	संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद
iii.	सभी अनुमण्डल पदाधिकारी	सभी जिला खनन पदाधिकारी/ सहायक जिला खनन पदाधिकारी
iv.	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक	
v.	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी	

(ग) उपरोक्त प्राधिकारों के व्यवहार्थ/प्रयुक्त होने वाले सरकारी वाहनों में लगायें जाने वाले बोर्ड/पट्ट का आकार/रंग निम्नवत् होगा :-

क्र० सं०	प्राधिकार का नाम	बोर्ड का अधिकतम आकार	बोर्ड का रंग	प्रयुक्त अक्षर का अधिकतम आकार		
				Height	Thickness	Space between
1	विधायिका	18x6 Inch	हरा	65 mm	10 mm	10 mm
2	न्यायपालिका/वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका/केन्द्रीय कार्यालय	18x6 Inch	लाल	65 mm	10 mm	10 mm
3	विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी/ प्रवर्तन पदाधिकारी	18x6 Inch	नीला	65 mm	10 mm	10 mm

नोट: बोर्ड/पट्ट पर प्रदर्शित शब्दों का मुद्रण पीतल (Brass) अथवा सफेद (White) रंग का होगा।

(घ) भारत सरकार के मंत्रालय के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित सक्षम प्राधिकारियों यथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/सर्वोच्च मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं Public Sector Undertaking (PSU) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को वाहन के आगे पदनाम के साथ संबंधित विभाग/सरकार का नाम लिखा रहेगा। अन्य प्राधिकारियों के द्वारा वाहन के आगे बोर्ड/पट्ट लगाने हेतु भारत सरकार के संबंधित विभाग के सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ड.) एतदर्थ नियमावली से आच्छादित सक्षम प्राधिकारों के लिए सरकारी कृत्यों में प्रयुक्त होने के निमित्त आउटसोर्सिंग के तहत् अधिग्रहित व्यावसायिक निबंधित वाहनों पर बोर्ड/पट्ट लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी वाहन पर प्राधिकार के नाम का उल्लेखन निषिद्ध होगा।

(च) वाहन के शीशे के अन्दर कोई भी बोर्ड/पट्ट/नेम प्लेट आदि नहीं लगाया जायेगा।

(छ) उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त सरकारी वाहनों पर बोर्ड/पट्ट का अधिष्ठापन तथा किसी शब्दों का उल्लेखन नहीं किया जायेगा। साथ ही किसी भी वाहन पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट (Court), आर्मी (Army), पुलिस (Police), प्रेस (Press) सरकार (Govt.), प्रशासन (Admin.), मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा। इसके उल्लंघन के फलस्वरूप दोषी वाहन स्वामियों/चालकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(ज) वाहन के आगे बोर्ड/पट्ट का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए।

(झ) उपरोक्त उल्लेखित वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन में किसी भी प्रकार का बोर्ड/पट्ट (निबंधन चिन्ह को छोड़कर) का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोई मोटरवाहन जिसपर बोर्ड/पट्ट लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो संबंधित वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड/पट्ट को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे। इस निर्देश के उल्लंघन के आलोक में अपेक्षित दण्ड वसूली संबंधित वाहन चालक से की जायेगी तथा सक्षम प्राधिकार दोषी वाहन चालकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रवृत्त होगा।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. इस आदेश की अवहेलना के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-179 (1) के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

8. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

रखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 183 -- 50

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची।

।। अधिसूचना ।।

सं०–परि० वि०–306/2012 - 285 **राँची/दिनांक**–10.03.2021

परिवहन तंत्र एवं यातायात व्यवस्था राज्य के व्यापक जीवनशैली, आवागमन, व्यापार तथा सम्पूर्ण आर्थिक संरचना का प्रमुख कारक है। यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों, नियमावली एवं नियमों में संचालित होता है। मोटरवाहन अधिनियम एवं नियमावली के तहत परिवहन तंत्र एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन हेतु विभिन्न धाराएँ एवं नियम स्थापित है। विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारियों के सुआवागमन एवं यातायात नियमों के क्रियान्वयन में प्रवर्त्तन तंत्र के समुचित सक्षम प्राधिकारों के वाहनों का आवागमन हेतु नियम प्रावधानित है, जिनका प्रभावकारी क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि राज्य का परिवहन तंत्र तथा यातायात व्यवस्था बाधारहित संचालित हो और सड़क सुरक्षा मानकों का अनुपालन एवं सभी गतिविधियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े।

2. क्षेत्र भ्रमण, मीडिया तथा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं में स्पष्ट है कि राज्य में विभिन्न प्रकार के निजी/व्यवसायिक वाहनों में कई प्रकार के विशिष्ट सूचक बोर्ड/पट्ट अग्र एवं पार्श्व भाग में लगाये जा रहे है, जो विभिन्न रंगों में तथा कई विशिष्टाएँ/सूचनाएँ सम्प्रेषित करते हुए लिखे जाते है। इससे सड़क उपभोगकर्त्ताओं के बीच वाहनों के विशिष्ट होने संबंधी संदेह उत्पन्न होते है एवं यातायात परिचालन कुप्रभावित होता है। कई अवसरों पर एम्बुलेन्स जैसे वरीयता प्राप्त वाहनों को भी आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ता है एवं परिवहन कर रहे रोगियों को परेशानियाँ होती है तथा कई मामलों में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों में भी वृद्धि होती है।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या– W.P.(PIL) No.- 419 of 2020 गजाला तनवीर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक–18.12.2020 को प्रदत्त न्याय निर्देश के आलोक में वाहनों में बोर्ड/पट्ट का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी नीति निर्धारण का संसूचन किया जाना आवश्यक है।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकारों के व्यवहार्थ/प्रयुक्त सरकारी वाहनों के अग्र (आगे) सूचक बोर्ड या पट्ट के प्रयोग के लिए निम्न प्रकार से विनिर्दिष्ट करते है :–

(क) वाहनों के आगे निम्न प्राधिकारों का पदनाम एवं उसके नीचे संबंधित विभाग/सरकार का नाम लिखा जा सकेगा :–

I. विधायिका प्राधिकार :–

i. माननीय राज्यपाल;

ii. माननीय मुख्यमंत्री;

iii. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष/झारखण्ड विधानसभा के उपाध्यक्ष (अगर कोई हो)/विपक्षी दल के नेता ;

iv. राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रिगण/राज्यमंत्री/उप मंत्री का दर्जा प्राप्त पद;

v. झारखण्ड राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य /राज्य विधान सभा के सदस्यगण;

vi. झारखण्ड विधानसभा की समितियों के सभापति/सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक/मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मुख्य सचेतक ;

vii. संविधान के 11वीं एवं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित स्थानीय स्वायत्त शासन के तहत् गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर के अध्यक्ष तथा विभिन्न नगर निकायों (नगरपालिकाओं) के अध्यक्ष;

viii. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं सामान्य विभाग के नयाचार स्टेट प्रोटोकॉल शाखा द्वारा राज्य अतिथियों के लिये उपयोग में लाई जानेवाली सभी गाड़ियों वाहन में;

ix. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समुचित सक्षम प्राधिकारियों के उद्घोषण उपरान्त एतदर्थ व्यवहृत वाहनों पर बोर्ड/पट्ट का प्रयोग करने हेतु उक्त प्रशासी विभाग स्वतः निर्णय संसूचन हेतु प्रवृत्त होगा।

II. <u>न्यायपालिका प्राधिकार</u> :–

i. माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय;

ii. माननीय न्यायाधीशगण, झारखण्ड उच्च न्यायालय;

iii. माननीय लोकायुक्त ;

iv. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ;

v. महाधिवक्ता;

vi. महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय ;

vii. प्रधान न्यायायुक्त, राँची तथा राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ;

viii. उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय न्यायालयों के सक्षम प्राधिकारों को सरकारी वाहनों में वाहनों के आगे समुचित सक्षम प्राधिकारियों का पदनाम अंकित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के अनुमोदनोपरान्त महानिबंधक उच्च न्यायालय, झारखण्ड स्वतः प्रवृत्त होंगे।

III. <u>कार्यपालिका प्राधिकार</u> :–

i. मुख्य सचिव;

ii. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त;

iii. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक;

iv. अपर पुलिस महानिदेशक/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक/सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक;

v. राज्य सरकार के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव;

IV. **वैधानिक आयोग** :–

i. अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;

ii. राज्य निर्वाचन आयुक्त / मुख्य सूचना आयुक्त ;

iii. सचिव, राज्य सूचना आयोग / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ;

iv. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग ;

v. अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग ;

vi. राज्य निःशक्तता आयुक्त ;

vii. राज्य के कुलपतिगण (Vice Chancellors) ;

V. **केन्द्रीय कार्यालय (राज्यावस्थित प्रतिष्ठान)** :–

i. प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड;

ii. मुख्य आयकर आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, झारखण्ड;

iii. रेलवे के प्रमण्डलीय प्रबंधक;

iv. महाडाकपाल, झारखण्ड;

v. रक्षा लेखा नियंत्रक;

(ख) कतिपय सक्षम प्राधिकारी विधि व्यवस्था के संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्त्तनकृत्यों के निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट होते है। अतएव वैसे वाहन जो विधि व्यवस्था संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्त्तन (Enforcement) कार्यों से सम्बद्ध है, उनके आगे निम्न सक्षम प्राधिकारों का पदनाम एवं उसके नीचे संबंधित विभाग / सरकार का नाम लिखा रहेगा:–

क्र०सं०	विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी	प्रवर्त्तन प्राधिकारी
i.	उप विकास आयुक्त / अपर समाहर्त्ता / अपर उपायुक्त / अपर जिला दण्डाधिकारी, राँची, जमशेदपुर, धनबाद	सभी उप परिवहन आयुक्त–सह– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षक।
ii.	अपर पुलिस अधीक्षक	संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद
iii.	सभी अनुमण्डल पदाधिकारी	सभी जिला खनन पदाधिकारी / सहायक जिला खनन पदाधिकारी
iv.	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक	
v.	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी	

(ग) उपरोक्त प्राधिकारों के व्यवहार्थ/प्रयुक्त होने वाले सरकारी वाहनों में लगायें जाने वाले बोर्ड/पट्ट का आकार/रंग निम्नवत् होगा :–

क्र० सं०	प्राधिकार का नाम	बोर्ड का अधिकतम आकार	बोर्ड का रंग	प्रयुक्त अक्षर का अधिकतम आकार		
				Height	Thickness	Space between
1	विधायिका	18x6 Inch	हरा	65 mm	10 mm	10 mm
2	न्यायपालिका/वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका/केन्द्रीय कार्यालय	18x6 Inch	लाल	65 mm	10 mm	10 mm
3	विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी/पवर्त्तन पदाधिकारी	18x6 Inch	नीला	65 mm	10 mm	10 mm

नोटः बोर्ड/पट्ट पर प्रदर्शित शब्दों का मुद्रण पीतल (Brass) अथवा सफेद (White) रंग का होगा।

(घ) भारत सरकार के मंत्रालय के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित सक्षम प्राधिकारियों यथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/सर्वोच्च मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं Public Sector Undertaking (PSU) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को वाहन के आगे पदनाम के साथ संबंधित विभाग/सरकार का नाम लिखा रहेगा। अन्य प्राधिकारियों के द्वारा वाहन के आगे बोर्ड/पट्ट लगाने हेतु भारत सरकार के संबंधित विभाग के सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ.) एतदर्थ नियमावली से आच्छादित सक्षम प्राधिकारों के लिए सरकारी कृत्यों में प्रयुक्त होने के निमित्त आउटसोर्सिंग के तहत् अधिग्रहित व्यावसायिक निबंधित वाहनों पर बोर्ड/पट्ट लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी वाहन पर प्राधिकार के नाम का उल्लेखन निषिद्ध होगा।

(च) वाहन के शीशे के अन्दर कोई भी बोर्ड/पट्ट/नेम प्लेट आदि नहीं लगाया जायेगा।

(छ) उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त सरकारी वाहनों पर बोर्ड/पट्ट का अधिष्ठापन तथा किसी शब्दों का उल्लेखन नहीं किया जायेगा। साथ ही किसी भी वाहन पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट (Court), आर्मी (Army), पुलिस (Police), प्रेस (Press) सरकार (Govt.), प्रशासन (Admin.), मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा। इसके उल्लंघन के फलस्वरूप दोषी वाहन स्वामियों/चालकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(ज) वाहन के आगे बोर्ड/पट्ट का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए।

(झ) उपरोक्त उल्लेखित वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन में किसी भी प्रकार का बोर्ड/पट्ट (निबंधन चिन्ह को छोड़कर) का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोई मोटरवाहन जिसपर बोर्ड/पट्ट लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो संबंधित वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड/पट्ट को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे। इस निर्देश के उल्लंघन के आलोक में अपेक्षित दण्ड वसूली संबंधित वाहन चालक से की जायेगी तथा सक्षम प्राधिकार दोषी वाहन चालकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रवृत्त होगा।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. इस आदेश की अवहेलना के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–179 (1) के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

8. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10/3/2021

(के० रवि कुमार)
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि० वि०–306/2012 285 ***/राँची, दिनांक–*** 10.03.2021

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/ई–गजट (नोडल पदाधिकारी), परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2021

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि० वि०–306/2012 285 ***/राँची, दिनांक–*** 10.03.2021

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण/माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के सचिव/झारखण्ड सरकार के कैबिनेट मंत्रिगण/विधान सभा के विपक्षी दल के नेता/माननीय झारखण्ड राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य/झारखण्ड विधानसभा के सभी सदस्य/लोकायुक्त/मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मुख्य संचेतक/सतारूढ़ दल के मुख्य संचेतक/अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड विधान सभा की समितियों के सभापति/अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/राज्य निर्वाचन आयुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष/अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग/अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग/महाधिवक्ता/महानिबंधन, झारखण्ड उच्च न्यायालय/प्रधान न्यायायुक्त, राँची, सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/राज्य निःशक्तता आयुक्त/सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य के कुलपतिगण/सभी अध्यक्ष, नगर निकाय/पंचायती राज संस्थानों के प्रमुख, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2021

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि० वि०–306/2012 285 /राँची, दिनांक–10.03.2021

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड/मुख्य आयकर आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, झारखण्ड/रेलवे के प्रमण्डलीय प्रबंधक/महाडाकपाल, झारखण्ड/रक्षा लेखा नियंत्रक/सभी जिला उपायुक्त/सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/अपर उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षक/संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद/सभी जिला खनन पदाधिकारी/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2021

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।